न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1032 सन 2022

अनवान :–

1. राजेश पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. जैता पत्नी स्व श्योराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. कमलादेवी पत्नी मनीराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री मनीराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. प्रियंका पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/09/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा दलपतपुरा के खसरा संख्या 77 की 26.03 बीघा , खसरा संख्या 194 की 26.14 बीघा कुल 53.01 बीघा भूमि जिसके श्योराम , आशाराम , रामचन्द्र पि0 नानकराम खातेदार काश्तकार थे श्योराम फोत हो चुका है जिसके वारिस उसकी धर्मपत्नी जैता पत्नी श्योराम , मनीराम , भागीरथ पि0 श्योराम , सन्तो , रेशमा ,लिछमा पुत्रीया श्योराम पर औद हुई जिसमें से पुत्र भागीरथ फोत हो गया जिसकी एक मात्र व0ारिस प्रतिवादी संख्या 4 प्रियका पुत्री भागीरथ है तथा सन्ता रेशमा लिछमा पुत्रीयान श्योराम ने अपने हक हिस्सा की भूमि जरिये दस्तबरदारी दिनांक 08.01.2001 को अपनी माता जैता व भाई मनीराम के पक्ष में की जा चुकी है।

वाद भूमि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 231/238 की कुल 4.300हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो 10/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 10/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1/6 हिस्सा की मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादी संख्या 3 ओमप्रकाश की और एक वाद संख्या 130/2018 ओमप्रकाश बनाम कमलादेवी प्रस्तुत किया गया था जो राजीनामा के आधार पर दिनांक 02.05.2018 को डिक्री किया गया था उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 जैतादेवी पत्नी श्योलाल को मृतक दिखाया है जबकि वह आज भी जिन्दा है तथा वाद भूमि सहमती के आधार पर कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है वाद भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 दोनो 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 प्रियका 1/6 हिस्सा की मुश्तरका खातेदार काश्तकार है सहवन से पूर्व में गलत तौर से हिस्सा कस्सी दर्ज कर दी उक्त दावा में गलती से वादी संख्या 1 को 5/36 हिस्सा , व वादी संख्या 2 का 5/36 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 को 7/18 हिस्सा तथा जैतादेवी पत्नी श्योराम का 1/3 हिस्सा यथावत रखा है वाद भूमि में सहवन से हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज कर दी गई जिसे संशोधन करवा कर सही हिस्सा कस्सी दर्ज करवाने के अधिकारी है ।

वाद भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 जैतादेवी ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 4 के हक हिस्सा की भूमि है

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

अतः रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 231/238 की कुल 4.300हैव भूमि में वादीगण संख्या 1 ,2 दोनो 5/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की उक्तानुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है

अतः रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 231/238 की कुल 4.300हैव भूमि में वादीगण संख्या 1 ,2 दोनो 5/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उसके पूर्वज श्योराम पुत्र नानकराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी जैता , पुत्र मनीराम , भागीरथ एव पुत्रीया सन्तो रेशमा लिछमा हुई पुत्रीया सन्तो रेशमा लिछमा ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तावरदारी अपनी माता जैता व मनीराम के पक्ष में की जा चुकी है एव भागीरथ का देहान्त हो चुका जिसकी जायज वारिसान उसकी पुत्री प्रतिवादी संख्या 4 प्रियंका है जो भागीरथ के 1/6 हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है तथा मनीराम भी फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी कमला देवी , राजेश , ओमप्रकाश , सुमन है कमलादेवी , सुमन ने अपने हक हिंस्सा की भूमि अपने पुत्रो के पक्ष में त्याग किया जा चुका है एव जैता पत्नी श्योराम ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसप्रकार जैतादेवी ,कमलादेवी , सुमन , एव श्योराम की पुत्रीया सन्तो रेशमा लिछमा ने भी जैतादेवी व मनीराम के पक्ष में दस्तावरदारी करवाने व जैतादेवी एव मनीराम की पत्नी कमलादेवी व पुत्री सुमन ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग करने के कारण वादीगण 5/6 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 4 प्रियंका 1/6 हिस्सा भूमि की हकदार है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल जबाव पेश किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 4 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में हाजिर नही आने के कारण एकपक्षिय कार्यवाही की जा चुकी है अर्थात प्रतिवादी संख्या 4 को वाद के सम्बध में ऐतराज नही है एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाव शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दलपतपुरा के खसरा संख्या 77 की 26.03 बीघा , खसरा संख्या 194 की 26.14 बीघा कुल 53.01 बीघा भूमि जिसके श्योराम , आशाराम , रामचन्द्र पि० नानकराम खातेदार काश्तकार थे श्योराम फोत हो चुका है जिसके वारिस उसकी धर्मपत्नी जैता पत्नी श्योराम , मनीराम , भागीरथ पि० श्योराम , सन्तो , रेशमा ,लिछमा पुत्रीया श्योराम पर औद हुई जिसमें से पुत्र भागीरथ फोत हो गया जिसकी एक मात्र वoारिस प्रतिवादी संख्या 4 प्रियंका पुत्री भागीरथ है तथा सन्ता रेशमा लिछमा पुत्रीयान श्योराम ने अपने हक हिस्सा की भूमि जरिये दस्तबरदारी दिनांक 08.01.2001 को अपनी माता जैता व भाई मनीराम के पक्ष में की जा चुकी है।

...कारी (राजस्व)
(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

वाद भूमि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 231/238 की कुल 4.300हैक में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो 10/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 10/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 अकेली 1/6 हिस्सा की मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादी संख्या 3 ओमप्रकाश की और एक वाद संख्या 130/2018 ओमप्रकाश बनाम कमलादेवी प्रस्तुत किया गया था जो राजीनामा के आधार पर दिनांक 02.05.2018 को डिक्री किया गया था उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 जैतादेवी पत्नी श्योलाल को मृतक दिखाया है जबकि वह आज भी जिन्दा है तथा वाद भूमि सहमती के आधार पर कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है वाद भूमि वादीगण संख्या 1 ,2 दोनो 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 प्रिंयका 1/6 हिस्सा की मुश्तरका खातेदार काश्तकार है सहवन से पूर्व में गलत तौर से हिस्सा कस्सी दर्ज कर दी उक्त दावा में गलती से वादी संख्या 1 को 5/36 हिस्सा , व वादी संख्या 2 का 5/36 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 को 7/18 हिस्सा तथा जैतादेवी पत्नी श्योराम का 1/3 हिस्सा यथावत रखा है वाद भूमि में सहवन से हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज कर दी गई जिसे संशोधन करवा कर सही हिस्सा कस्सी दर्ज करवाने के अधिकारी है ।

वाद भूमि पूर्व में उसके पूर्वज श्योराम पुत्र नानकराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी जैता , पुत्र मनीराम , भागीरथ एव पुत्रीया सन्तो रेशमा लिछमा हुई पुत्रीया सन्तो रेशमा लिछमा ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तवरदारी अपनी माता जैता व मनीराम के पक्ष में की जा चुकी है एव भागीरथ का देहान्त हो चुका जिसकी जायज वारिसान उसकी पुत्री प्रतिवादी संख्या 4 प्रिंयंका है जो भागीरथ के 1/6 हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है तथा मनीराम भी फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी कमला देवी , राजेश , ओमप्रकाश , सुमन है कमलादेवी , सुमन ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने पुत्रो के पक्ष में त्याग किया जा चुका है एव जैता पत्नी श्योराम ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसप्रकार जैतादेवी ,कमलादेवी , सुमन , एव श्योराम की पुत्रीया सन्तो रेशमा लिछमा ने भी जैतादेवी व मनीराम के पक्ष में दस्तवरदारी करवाने व जैतादेवी एव मनीराम की पत्नी कमलादेवी व पुत्री सुमन ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग करने के कारण वादीगण 5/6 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 4 प्रिंयका 1/6 हिस्सा भूमि की हकदार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते है।

अतः रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 231/238 की कुल 4.300हैक भूमि में वादीगण संख्या 1 ,2 दोनो 5/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 231/238 की कुल 4.3000हैक में से वादी संख्या 1 का 5/36 हिससा वादी संख्या 2 का 5/36 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 जैता 1/3 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 4 प्रियंका 7/18 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
कोटपूतली (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में उसके पूर्वज श्योराम पुत्र नानकराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी जैता , पुत्र मनीराम , भागीरथ एव पुत्रीया सन्तो रेशमा लिछमा हुई पुत्रीया सन्तो रेशमा लिछमा ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तवरदारी अपनी माता जैता व मनीराम के पक्ष में की जा चुकी है एव भागीरथ का देहान्त हो चुका जिसकी जायज वारिसान उसकी पुत्री प्रतिवादी संख्या 4 प्रियंका है जो भागीरथ के 1/6 हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है तथा मनीराम भी फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी कमला देवी , राजेश , ओमप्रकाश , सुमन है कमलादेवी , सुमन ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने पुत्रो के पक्ष में त्याग किया जा चुका है एव जैता पत्नी श्योराम ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसप्रकार जैतादेवी ,कमलादेवी , सुमन , एव श्योराम की पुत्रीया सन्तो रेशमा लिछमा ने भी जैतादेवी व मनीराम के पक्ष में दस्तवरदारी करवाने व जैतादेवी एव मनीराम की पत्नी कमलादेवी व पुत्री सुमन ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग करने के कारण वादीगण 5/6 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 4 प्रियका 1/6 हिस्सा भूमि की हकदार है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है वाद भूमि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने किसी प्रकार का ऐतराज भी पेश नही किया गया है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 231/238 की कुल 4.300हैक भूमि में वादीगण संख्या 1 ,2 दोनो 5/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजेश पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. जैता पत्नी स्व श्योराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. कमलादेवी पत्नी मनीराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री मनीराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. प्रियंका पुत्री भागीरथ जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1032 सन 2021 निर्णय दिनांक– 29/09/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 231/238 की कुल 4.300हैक भूमि में वादीगण संख्या 1 ,2 दोनो 5/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner